मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 30, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

(1) क्रमांक - 832 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 22 मार्च, 2006
(2) क्रमांक 579 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 25 फरवरी, 2006
(3) क्रमांक 719 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 10 मार्च, 2006
(4) क्रमांक 1236 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 11 मई, 2006
(5) क्रमांक 498 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 16 फरवरी, 2006
(6) क्रमांक 1044 / मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 25 अप्रैल, 2006
(7) क्रमांक 922 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006
(8) क्रमांक 632 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 2 मार्च, 2006
(9) क्रमांक 1192 - मप्रविनिआ - 2006, दिनांक 5 मई, 2006
(10) क्रमांक 3474 / एफ-आर.एस / 17 / 2002 / तेरह, दिनांक 3 जून, 2006 ; तथा
(11) क्रमांक 4052 -एफ - 11 -310 - तेरह, 2004, दिनांक 30 जून, 2006.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजेश पटेल, एवं सत्यदेव कटारे, सदस्य, भोपाल नगर में डकैती एवं लूट की अनेक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंथेटिक दूध एवं नकली घी की बिक्री किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य, पन्ना जिले के वन परिक्षेत्र अजयगढ़ में वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रतलाम में शराब माफिया द्वारा जिला आबकारी अधिकारी पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेश पटेल, सदस्य, धार जिले की कृषि उपज मण्डी, कुक्षी द्वारा कॉटन प्रोजेक्ट से संबंधित निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा स्थित स्मारकों के जीर्णोद्धार किये गये कार्यों की जांच कराये जाने,
(ख) ओरछा में पर्यटक पुलिस तैनात किये जाने,
(ग) निवाड़ी तिगेला के आगे नाले पर पुलिया बनाये जाने, तथा
(घ) ओरछा के पास बेतवा नदी पर फिल्टर प्लांट लगाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

-2-

5. वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 6 मार्च, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1049) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह, मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घन्टा (3) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

45 मि. प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

45 मि. (1) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"सदन का यह मत है कि प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय".

30 मि. (2) श्री शिवराज शाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मण्डला फोर्ट से गोंदिया नेरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर उक्त रेल लाईन को मण्डला से बिलासपुर तक बढाया जाय".

30 मि. (3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर-श्योपुर छोटी रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाय तथा श्योपुर से सवाई माधोपुर (राजस्थान) तक नई बड़ी रेल लाईन डाली जाय."

45 मि. (4) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-
" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. हरी सिंह गौर को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाय."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2006